भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1510

जिसका उत्तर 15 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

24 अग्रहायण, 1945 (शक)

एन्क्रिप्शन के लिए सामान्य मानक

1510. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एन्क्रिप्शन के लिए सामान्य मानक और क्षेत्र-वार मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा एन्क्रिप्शन के माध्यम या तरीके निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संचार के ऑनलाइन साधनों के उपयोग को सुरक्षित बनाने और ई-गवर्नेंस तथा ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ङ) सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केन्द्र (एनसीसीएस), दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार नेटवर्क में दूरसंचार नेटवर्क तत्वों द्वारा सूचना के आदान-प्रदान के लिए एन्क्रिप्शन के मानक निर्धारित किए हैं। इसे "क्रिप्टोग्राफिक नियंत्रणों हेतु भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन आवश्यकताएं (आईटीएसएआर)" नामक दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किया गया है।

****